<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टी ए/1564/2004/बीकानेर</u>

अजीम खां पुत्र पीरे खां जाति मुसलमान निवासी दोधा तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार

प्रत्यर्थी

<u>खण्ड पीठ</u>

श्री शिखर अग्रवाल सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

<u>उपस्थित</u>

श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्रीमती पूनम माथुर अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक

<u>निर्णय</u>

दिनांकः25.7.2019

1. यह अपील अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18–10–2003 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने प्रत्यर्थी प्रतिवादी राज्य सरकार के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 188 के तहत वादपत्र में अंकित आराजी खसरा नम्बर 38/2 रकबा 20बीघा के बाबत सहायक उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर

कर प्रतिवादी को तलब किया। प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा पेश होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित कुल चार तनकीयात कायम की। बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 29–4–03 के द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 18–10–03 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि राजस्थान लेण्ड रिफार्म एण्ड जागीर एक्ट 1952 से अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी पर काबिज है। उपनिवेशन अधिनियम 1954 आ जाने से राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं किया गया। किन्तु जो अधिकार उसको प्राप्त हो चुके उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार नहीं माना जावे तो उसकी हैसियत गैर खातेदार की थी। गैर खातेदार को भी धारा 14 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदार होना माना है। अस्थाई रूप से अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी आवंटन किया जाना प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया है। अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये अपीलार्थी वादी का वाद संधारण योग्य था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने साक्ष्य का विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाकर अपीलार्थी वादी का वाद डिक्री किया जावे।

5. जबाब में विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि दोनें अधीनस्थ न्यायालयों ने तथ्यों का विवेचन कर विधि अनुसार निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर वैधानिक कब्जा नहीं है। इसलिये अपील खारिज की जावे।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने के बाद यह स्थिति स्पष्ट होती है कि अपीलार्थी को सर्वप्रथम खसरा नम्बर 38/2 में 25बीघा भूमि टी सी पर आवंटन हुई। लेकिन उक्त भूमि का नवीनीकरण साल दर साल अपीलार्थी के पक्ष में हुआ ऐसा कोई अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। टी सी आवंटन मात्र एक वर्ष की अवधि के लिये होता है और उसका नवीनीकरण आगे के वर्षो में नहीं होता है तो वह टी सी आवंटन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अपीलार्थी का नाम रेकार्ड के अनुसार टी सी आवंटी रेकार्ड में दर्ज नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि वादग्रस्त भूमि पर उसका आवंटन से लगातार कब्जा काश्त है,रेकार्ड से प्रमाणित नहीं होता है। केवल कुछ वर्षो में नाजायज काश्त होने से अपीलार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए आई आर 1999 एस सी पेज2213 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Second appeal- Relief cannot be granted merely on equitable grounds-Concurrent finding of facts however erroneous-Cannot be interfered with.

RRT 2001 page 883- Rajasthan Tenancy Act1955- Section 224readwith Section100,Code of Civil Procedure 1908-Both the lower Courts has concurrently on facts held that the plaintiff is not tenant and he has not acquired title by sale deed- Therefore in this cecond appeal unless it is found that the findigs recorded are illegal

or perverse in nuture, till lthen this court cannot disturb the concureent findings recorded by the Court below as held in AIR1959S.C.page 57-Hence this second appeal was dismissed.

8. उपरोक्त विवेचन विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य